न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 38/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00095

प्रार्थीगणः–

मालाराम पुत्र कुकाराम जाति मेघवाल निवासी जाणुन्दा, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मृतक मोहनी देवी बेवा लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) के कायम मुकाम
   1/1 टीकम पुत्र लिखमाराम
   1/2 सुरेश कुमार पुत्र लिखमाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/3 गीता पुत्री लिखमाराम, पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी कराड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/4 गवरी पुत्री लिखमाराम पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी गांव पोस्ट गॉथी, तहसील देसूरी जिला पाली
   1/5 दरिया पुत्री लिखमाराम पत्नी छगनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम पोस्ट चेलावास, तहसील मारवाड़ जिला पाली
   1/6 गजरों पुत्री लिखमाराम पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी ग्राम पोस्ट धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
   1/7 रेखा पुत्री लिखमाराम पत्नी छोगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पोस्ट धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
2. ग्राम पंचायत जाणुन्दा मार्फत सरपंच ग्राम जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन चौहान।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर सिंह राजपुरोहित।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/12/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या 24/2011—12, दिनांक 20.01.2013, संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.07.2013 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मोहनी पत्नी लिखमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी स्व. मोहनीदेवी, प्रार्थी के सगे भाई की पत्नी है तथा जैर निगरानी मकान प्रार्थी के दादाजी स्व. सूजाराम का पुश्तैनी मकान है जिसमें प्रार्थी आज भी निवासरत है लेकिन अप्रार्थी ने बिना प्रार्थी की सहमति से पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी का पीहर रड़ावास है तथा जाणुन्दा उनका ससूराल है ऐसी स्थिति में उक्त मकान अप्रार्थी का कैसे हो सकता है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, निर्धारित शूल्क जमा नहीं करवाई, स्थल निरीक्षण एवं नक्शे पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। मिसल की दिनांक 05.04.2013 को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया और उसी आदेशिका में रिपोर्ट प्राप्त होना भी अंकित है। निरीक्षण प्रपत्र पर वार्ड पंचों के हस्ताक्षर नहीं है। नोटिस पर चस्पानगी के सम्बन्ध में दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी मकान पर हमारा कब्जा है तथा हमारे द्वारा ही बिजली कनेक्शन ले रखा है और लगातार हमारे नाम से बिजली बिल आ रहे है। प्रार्थी ने पुश्तैनी मकान के केवल कथन किये उसे साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2013 में जारी किया और प्रार्थी ने निगरानी याचिका 2019 में पेश की जो कि म्याद बाहर है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष विधिनुसार आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण जांच के उपरान्त पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या 24/2011—12, दिनांक 20.01.2013, संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.07.2013 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मोहनी पत्नी लिखमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसका अप्रार्थी ने अपने पक्ष में पट्टा जारी करवा दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी की कब्जेसुदा सम्पत्ति है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुश्तैनी सम्पत्ति होने का केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। हालांकि सम्पूर्ण मिसल में पुश्तैनी पट्टे के तथ्य अंकित किये है लेकिन अन्य मजबूत तथ्यों एवं दस्तावेजों की अनुपलब्धता में यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी ने लगभग 6 वर्ष की देरीना जैर निगरानी याचिका पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की, इसके अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 6 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल का सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट आता है कि जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किए जाने हेतु कोई भी विधिवत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों में न तो आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान युक्त आवेदन का अस्तित्व पाया जाता है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह प्रामाणित हो सके कि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का प्रारम्भ आवेदक की विधिसम्मत पहल पर हुआ है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दर्ज कर, बिना आवेदन के ही, पट्टा जारी कर दिया गया। अभिलेखों के अनुसार, ओदशिका दिनांक 05.04.2013 के द्वारा प्रश्नगत भूमि का तीन पंचों से मौका निरीक्षण कराने के निर्देश दिये गए तथापि, उक्त आदेशिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कौन से तीन पंच मौका निरीक्षण करेंगें। पंचों का नामांकन न किया जाना स्वयं में आदेश को अपूर्ण एवं अस्पष्ट बनाता है, जिससे बाद की सम्पूर्ण कार्यवाही की वैद्यता प्रभावित होती है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में तीन पंचों के नाम तो अंकित हैं, किन्तु उनमें से एक पंच के हस्ताक्षर अनुपस्थित है। इस प्रकार, रिपोर्ट न तो पूर्ण रूप से प्रमाणित है और नही इसे सर्वसम्मत अथवा विधिवत निरीक्षण रिपोर्ट माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि "दिनांक 25.04.2013 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गई" जबकि मिसल की द्वितीय आदेशिका दिनांक 05.04.2013 में अगली सुनवाई की तिथि 20.04.2013 निर्धारित थी। इसके पश्चात् अभिलेखों में यह पाया जाता है कि आदेशिका में सुनवाई की तिथि 20.04.2013 में काट–छांट कर 25.04.2013 अंकित किया गया, जो अभिलेखीय शुद्धता के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.04.2013 की प्रति के अवलोकन से यह भी तथ्य सामने आता है कि "प्रस्ताव संख्या 3 के अन्तर्गत पंचायती राज अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार कुछ मिसल में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया, जिसमें प्रश्नगत मिलस संख्या 24/12–13 का उल्लेख हैं किन्तु इसके विपरीत, जैर निगरानी मिसल में दिनांक 20.04.2013 की आदेशिका को कांट–छांट कर 25.04.2013 अंकित किया गया, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार दिनांक 25.04.2013 को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम पंचायत की कोई बैठक आयोजित ही नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, तथाकथित आदेशिका दिनांक 25.04.2013 में भी आपत्तियाँ प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कार्यवाही या उल्लेख अंकित नहीं है। इसके विपरीत, अभिलेख यह दर्शाते हे कि आपत्तियाँ करने एवं प्राप्त करने की कार्यवाही वस्तुतः आदेशिका दिनांक 20.05.2013 के अन्तर्गत की गई। यह तथ्य कार्यवाही की तिथियों में गम्भीर असंगति एवं कृत्रिम रूप से अभिलेख तैयार किए जाने की और संकेत करता है। जिससे जैर निगरानी मिसल में यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही गम्भीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, विरोधाभासों तथा अभिलेखीय छेडछाड़ से ग्रसित है, जिससे इसकी विश्वसनीयता एवं वैधानिकता सन्देह के घेरे में आ जाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में मिसल की आदेशिका दिनांक 06.06.2013 के अनुसार दो गवाहों एवं स्टाम्प पेश करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु इसी दिनांक की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रति में धारा 157 ख के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। उपलब्ध तथ्यों से यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि आदेशिका दिनांक 06.06.2013 और बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रविष्टियाँ परस्पर विरोधाभासी है, जिससे सम्पूर्ण कार्यवाही की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं वैधानिकता से परे है। प्रकरण में गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल एक गवाह के हस्ताक्षर है और उसकी भी वल्दियती अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, प्रश्नगत भूमि का नक्शा तथा कथित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बयानों के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये दस्तावेज किस तिथि को तैयार किए गए। किसी भी दस्तावेज पर तिथि का अभाव यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विधिक औपचारिकताओं का घोर अभाव रहा है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के सम्यक् मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में कृत्रिम परिवर्तन, तिथि–हेरफेर एवं अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई दर्शाई गई है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रक्रिया न तो पारदर्शी है और न ही विधिसम्मत है अपितु यह प्राकृतिक न्याय, अभिलेखीय शुद्धता तथा राजस्थान पंचायती राज नियमों में निहित अनिवार्य प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय सामान्य एवं अनिवार्य नियमों की अनदेखी की गई, तथ्यों का सही परीक्षण नहीं किया गया तथा अभिलेखों में विरोधाभासी विवरण अंकित किए गए। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या 24/2011–12, दिनांक 20.01.2013, संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.07.2013 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मोहनी पत्नी लिखमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली